हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

वर्ष : 9 अंक : 12 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 दिसम्बर, 2018

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in

मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

मिशन-59 विचारधारा की व्यापक सराहना

मतदाता जुटे रहे भाजपा को हराने में

जयपुर। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में तीनों जगह सत्ता परिवर्तन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर कांग्रेस ने बागडोर संभाल ली है। खास बात ये कि बड़ी संख्या में निर्दलीय तो जीत गये लेकिन कई पार्टियाँ चुनाव हार गई। भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी ने समता आन्दोलन की पहल व पोषण की शर्त पर कुल सत्रह प्रत्याशी मैदान में उतारे। असल में समता आन्दोलन कि मिशन-59 के तहत आरक्षित वर्ग के लोगों को चुनाव लड़वाने की कौशिश की गई जो पूरी तरह सफल रही। हालांकि वोटों की गिनती में मिशन-59 कहीं-कहीं झलक मात्र के रूप में दिखा, लेकिन देश की चुनावी प्रक्रिया को नयी दिशा का संकेत देने में सफल रहा।

प्रायः तीन महीनों की छोटी सी अवधि में आरक्षित वर्ग के सदस्यों को चुनकर मैदान में उतारना कठिन रहा। मेहनत और छानबीन के बाद 29 लोगों ने समता की विचारधारा में विश्वास प्रकट किया। इनमें से 12 लोगों को डरा-धमका कर उन्हीं के लोगों ने अलग करवा दिया। शेष बचे सत्रह प्रत्याशियों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में समरसता और समानता के छः बिन्दुओं को लेकर पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चुनाव प्रचार किया।

अत्यंत सीमित साधनों के बावजूद वे लोगों का विश्वास जीतने में तो सफल रहे किंतु ये विश्वास वोटों में तब्दील नहीं हुआ। बड़े-बड़े मठाधीशों के आश्वासन और प्रोत्साहन कोरा कागज बन कर रह गये। परिणाम वाले दिन पता लगा कि अजमेर दक्षिण से जगदीश भाम्बी को सबसे कम 129 और किशनगंज बारां से कालूलाल भील को 1484 वोट मिले। बाकी सब प्रत्याशियों के वोट इनके बीच में ही रहे।

वोटों का विश्लेषण करने जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव के अनुसार मीनाक्षी मीणा -राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ और भरतपुर के भूपाल महावर ने जो एक निष्ठ परिश्रम और प्रयास किया उसका परिणाम भी बेहद निराशाजनक रहा तो पहली बात ये सामने आई कि समता आन्दोलन के स्थाई-अस्थाई सदस्यों ने भी नीति के स्थान पर राजनीति का दामन थाम लिया था। दूसरी बात ये कि बड़ी संख्या में लोगों ने समता के छः बिन्दुओं को क्रान्तिकारी बताया लेकिन साथ ही यह भी बोल दिया कि उनके वोट की कीमत बड़ी पार्टियाँ अधिक समझती है।

चुनाव के मैदान में मतदाता का मन पढ़ पाना कितना कठिन होता है इसका प्रत्यक्ष अनुभव समता प्रत्याशियों को हुआ है। लेकिन उनका मनोबल कमजोर दिखाई नहीं दिया है। समता आन्दोलन ने जयपुर में अपने मुख्यालय से निर्देश देकर सभी सत्रह प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकृत करवाये और फिर कुशल संचालन के द्वारा आखरी मिनट तक अपनी उपस्थिति दर्ज की।

हार-जीत आंकलन अभी होना है लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि आरक्षण को तर्कसंगत बनाने के लिए आरक्षित वर्ग के लोगों की आवाज हजारों लोगों तक पहुंची है। इसका सुफल मिलने की आशा में समता आन्दोलन की टीम फिर से सक्रिय हो गई है।

अध्यक्ष की कलम से

सबसे बड़ा प्रश्न- " एक प्रतिशत "

समता आन्दोलन समिति द्वारा इन विधानसभा चुनावों में एक विचारधारा "समता मिशन-59" का आगाज किया गया। जहाँ स्वार्थी और जातिवादी लोग देश में जातीय आरक्षण का जहर फैलाकर देश को जातिगत गृहयुद्ध की तरफ धकेलना चाहते है, वहीं एक दो नहीं वरन सत्रह आरक्षित वर्ग के लोगों ने समरसता लाने के लिए, देश को जातिगत गृहयुद्ध से बचाने के लिए समता आन्दोलन की विचारधारा के तहत शपथपत्र देकर संविधान की सीमा में रहकर लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के लिए संघष कर रहे है। नोटा के वोटों से कम वोटों पर राजस्थान में केवल 15 सीटों पर हार जीत हुई है, इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी जीती है, 6 पर कांग्रेस और एक पर निर्दलीय। कोई कहता है नोटा नहीं होता तो बीजेपी 7 सीट और जीत जाती। कुल मिला कर फर्क केवल एक सीट का है। यही हाल गुजरात चुनाव में था और यही हाल मध्यप्रदेश में रहा है।

ये तथ्य विचारणीय है कि 2013 में 5 लाख 89 हजार वोट नोटा को थे। इस बार नोटा का प्रचार 50 गुना अधिक था, वोट आए केवल 4 लाख 67 हजार यानि 1 लाख 22 हजार कम। बीजेपी को 7 प्रतिशत वोट कम मिले लेकिन नोटा की जगह ये एक प्रतिशत कांग्रेस को चले गये और 6 प्रतिशत अन्य प्रत्याशियों को। इसी प्रकार नोटा के वोट भी लगभग 21 प्रतिशत घटकर कहीं और चले गये, फिर भी नोटा के प्रचारक अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या करें? कांग्रेस के प्रचारक अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जबकि इतनी भयानक एन्टीइंकम्बेन्सी के बाद भी उनका वोट केवल एक प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी वाले खुद की पीठ थपथपा रहे है और कह रहे है उनका जो 7 प्रतिशत वोट कम हुआ है वो कांग्रेस को नहीं गया, अब लोकसभा चुनावों में फिर से मोदी को मिलेगा।

यही बुद्धिजीवियों की त्रासदी है। समता आन्दोलन जुनूनी राष्ट्रवादियों का संगठन है। हम देश को जातिवादी आरक्षण से मुक्त कराने के लिए विविध तरीकों से लगातार सफल संघर्ष कर रहे है। लेकिन मिशन-59 में हमने जिन प्रत्याशियों को छः राष्ट्रवादी प्रस्तावों पर सपोर्ट किया उन्हें वोट नहीं मिल पाना ये दर्शाता है कि 1 प्रतिशत बुद्धिजीवी भी आरक्षण को मुद्दा नहीं मानता, 1 प्रतिशत कर्मचारी भी पदोन्नति में आरक्षण बन्द के फैसले को लागू करवाना नहीं चाहते, 1 प्रतिशत युवा भी आरक्षण से छीनी गई उनकी नौकरी के बदले मुआवजा नहीं लेना चाहते, 1 प्रतिशत नागरिक भी एम.एल.ए. एवं एम.पी. की आरक्षित सीटों को अनारक्षित करवाना नहीं चाहते, 1 प्रतिशत नागरिक भी पार्टीवाद से बाहर आ कर राष्ट्रवादी मुद्दों पर वोट नहीं देना चाहते, आदि।

लेकिन हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। समता आन्दोलन द्वारा देश के जातिवादी नेताओं की गंदी राजनीति को बदलने का यह प्रथम प्रयास था। समरसता का परचम लेकर शहर-शहर, कस्बें-कस्बें, गांव-गांव ढाणी-ढाणी व गलियों में घूमना किसी शांत क्रान्ति से कम नहीं था और समता आन्दोलन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में हम काफी सफल रहे है। लोकतंत्र में ऐसे प्रयास ही जातिवादी राजनीति को खत्म कर सकते हैं। सत्यमेव जयते होकर रहेगा। हमारे देश को जातिगत गृहयुद्ध से बचाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा, कोई विदेश से आने वाला नहीं है।

नीति आयोग का सुझाव

सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य वर्ग की अधिकतम उम्र 27 वर्ष करने का सुझाव

नई दिल्ली। नीति आयोग ने सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए सिविल सेवा परीक्षाओं में अधिकतम आयुसीमा 30 साल को कम कर 27 साल करने का सुझाव दिया है।

यह काम 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से करने को कहा है। हाल ही में जारी 'न्यू इंडिया एट-75 के लिए रणनीति' दस्तावेज में सरकारी थिंक टैंक ने हर विभाग के लिए अलग परीक्षा की बजाय सभी सिविल सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा लिये जाने की भी वकालत की है।

दस्तावेज में कहा गया है, सिविल सेवा में कदम रखने के लिए 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 27 वर्ष की जानी चाहिये।

नीति आयोग ने नए भारत के निर्माण के लिए 'स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सरकार को सुझाव दिये गये है कि उसे आगे बढ़ने के लिए किस क्षेत्र में काम करना चाहिए।

आयोग ने रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है।

धौलपुर, भरतपुर जाट आरक्षण

आरक्षण का लाभ दे तत्काल शुरू करो नियुक्ति प्रक्रिया - हाईकोर्ट

जयपुर। हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 और 2015 की प्रक्रियाधीन भर्तियों में भरतपुर व धौलपुर के जाट अभ्यार्थियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ दे तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने चन्द्रशेखर व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सतीश खण्डेलवाल ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने कैप्टन गुरविंदर सिंह मामले में अगस्त 2015 में धौलपुर व भरतपुर जिले के लिए जाट जाति को ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था।

सरकार ने नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम और स्कूल व्याख्याताओं सहित अन्य विचाराधीन भर्तियों में इन जिलों के जाट अभ्यार्थियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया।

सरकार ने जाट जाति का ओबीसी का लाभ पुनः दे दिया। इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

सम्पादकीय

आरक्षण पर समता की नई चोट

बधाई। समता आन्दोलन को 100 बार बधाई। आजाद भारत में किसी प्रदेश में मुद्दों के आधार पर विधानसभा प्रत्याशियों को उतारने के लिए समता आन्दोलन को साधुवाद।यह बधाई कोरी भावुकता नहीं वरन तथ्यपरक है। पार्टियाँ अपना जो घोषणा पत्र जारी करती हैं वह पार्टी का मत होता है न कि प्रत्याशी का। जबकि समता आन्दोलन द्वारा समर्थित व पोषित सभी प्रत्याशियों ने संकल्पबद्ध घोषित किया। इसका असर ये हुआ कि कम से कम एक रजिस्टर्ड पार्टी ने इसी तर्ज पर शपथपत्र मतदाताओं तक पहुंचाये तो दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने घोषणा पत्र को बदल कर संकल्प पत्र कहना शुरू कर दिया।

प्रश्न किसी पार्टी या विचार के हार जीत का कभी न होता। प्रश्न केवल प्रश्न होता है और असल प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर तत्कालिक न होकर भविष्य में खोजना पड़ता है। ऐसे प्रश्नकर्ता को पहले खुद से लड़ना पड़ता है फिर अपने परिवार और जातीय समाज से। तब कहीं जाकर वह अपना प्रश्न लेकर सार्वजनिक जीवन में उतर पाता है। इस दृष्टि से देखे तो समता आन्दोलन द्वारा समर्थित आरक्षित वर्ग के सत्राह विधानसभा प्रत्याशियों को पुरूषार्थी की श्रेणी में रखा जायेगा। जिन दिनों स्वार्थी और लम्पट लोग देश में आरक्षण की छतरी लेकर जातीय जहर फैलाकर भारतभूमि को खण्ड-खण्ड कर डालने का प्रयास कर रहे हों तब एक दो नहीं वरन् सत्राह लोगों का समरसता का परचम लेकर शहर, कस्बे, गांव, ढाणी, गलियों में घूमना किसी शांत क्रान्ति से कम नहीं था। अतः ये सभी सत्राह विधायक के प्रत्याशी असंदिग्ध रूप से नमन किये जाने के हकदार हैं।

समता आन्दोलन अपनी विशेष कार्यशैली के कारण देश में पहचान बना चुका है। दुनियाँ के बड़े बदलाव जहाँ मानव रक्त की धाराओं के साक्षी बने वहीं भारत में यह काम संविधान की सीमाओं में रहकर पूर्णतः सात्विक पुरूषार्थ के माध्यम से समता आन्दोलन कर रहा है। यह विश्वास करना कठिन है कि जहाँ बड़े राजनैतिक दलों के प्रत्याशी विधायक बनने के लिए दस से बारह करोड़ रूपये खर्च करते हैं वहां समता आन्दोलन के समर्थित सभी प्रत्याशियों का पूरा खर्च सौ गुणा कम में सिमट गया। जबकि इसमें पेम्पलेट, बैनर, हार्डिंग के साथ-साथ एक गाडी का खर्च भी शामिल हैं। इसे एक तरह का चमत्कार भी माना जा सकता है।

राजस्थान विधानसभा का चुनाव आरक्षण पर समता की चोट का उदाहरण बनकर रहेगा। देश का जन तो उन नील गायों की तरह है जो स्वार्थ की नदी में से दो घूंट पानी पीकर जिंदा भर रहना चाहता है पर नदी में छुपे घातक मगरमच्छों की भेंट चढ़ता रहता है। उसकी इस नियति को बदलने का प्रथम प्रयास एक एनजीओ समता आन्दोलन द्वारा किया गया है। लोकतंत्र में ऐसे प्रयास ही संसदीय गौरव को बचाकर रख पाने का हेतु बनते हैं। यह दुखद नहीं शर्मनाक है कि जो प्रयास कांग्रेस और भाजपा को करने चाहिये थे वह समता आन्दोलन ने किया। इससे संकेत यही मिलता है कि देश के दोनों बड़े दल अपने होने का मूलमंत्र भूल चुके हैं। शायद इसीलिए एक दलीय सरकारें अब सपना सा लगने लगी है। 2014 के चुनावों में देश ने कोई पच्चीस सालों बाद भाजपा को पूर्ण समर्थन देकर सत्ता सौंपी। पर उसने देश को कमजोर करने का काम किया। इसीलिए बड़े दल अब सत्ता की लूट को ही जन सेवा मान रहे। लेकिन समता आन्दोलन ने विधानसभा चुनावों में सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सही और राष्ट्रवादी सोच के लिए बड़े दलों से अधिक समता आन्दोलन मूल्यवान है।

- योगेश्वर झाड़सरिया

गली-गली गूंजा समरसता गान

''जातिवादियों की खड़ी करेंगे खाट/ समरसता से खूब करेंगे ठाठ/ आरक्षित बोले अनारक्षित से/ हम तुम्हारे लिये तुम हमारे लिए/ अनारक्षित बोले आरक्षित से/ हम तुम्हारे लिये तुम हमारे लिए,..... यह बोलचाल के सरल शब्दों में पाराशर नारायण द्वारा लिखा गया ये चुनावी समरसता गान मिशन-59 की 17 विधानसभा सीटों में 38 गाडियों में लगे एम्पलीफायर के माध्यम से 23 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक लगातार बजा और मतदाताओं को छः राष्ट्रवादी मुद्दों पर जागरूक किया। एससी-एसटी के 17 राष्ट्रवादी प्रत्याशियों के हाथों से कुल साढे छः लाख से अधिक घरों में समता आन्दोलन का संदेश देने वाले परचे बांटे गये। समता के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों द्वारा लगभग एक हजार स्थानों पर छोटी-बड़ी मीटिंग की गई। इसका प्रभाव ये हुआ कि अनेक एससी-एसटी के सामाजिक संगठनों ने आगे बढ कर मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की। सामान्य और ओबीसी में से केवल करणी सेना ने मुद्दों को समर्थन दिया।

एससी/एसटी संशोधन एक्ट-18 ने बिगाड़ा और बिगाड़ेगा खेल

भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है लेकिन समाज के प्रत्येक दलित एवं पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से इसे शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा प्रारम्भ के 10 वर्षों के लिए प्रदान की गई। पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान की दृष्टि से किये गये इस प्रावधान का किसी ने भी विरोध नहीं किया लेकिन 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, इसे अपर्याप्त बताते हुये दलित वर्ग के नेताओं ने इसे पुनः 10 वर्ष बढाने की मांग की, जिसका भी किसी ने विरोध नहीं किया।

धीरे-धीरे नेताओं ने इस व्यवस्था का दुरूपयोग करना शुरू कर दिया जो भी इस प्रावधान का विरोध करता, उसे दलित विरोधी बता कर चुप करा दिया जाता और इस प्रावधान की आड़ लेकर जातीय नेताओं ने अपनी वोट राजनीति चमकानी शुरू कर दी। आज इस आरक्षण की बीमारी ने इतनी गहरी जड़े जमा ली है कि इसे हटाने की कोई सोच भी नहीं सकता।

अत्यंत दुख की बात तो यह है कि दलित वर्ग में ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने के लिए 1989 में अत्याचार निवारण की व्यवस्था जोड़ कर इसे और अधिक घातक बना दिया गया। इस नये प्रावधान के अनुसार किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को जाति सूचक शब्द से सम्बोधित करना भी अपमानित करना एक ऐसा दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया जिसके लिए किसी भी आरोपित व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को मिल गया। इससे निर्दोष व्यक्तियों को प्रताड़ित करने के मामले बढ़ गये और इस प्रावधान का मनमाना दुरूपयोग करना आसान हो गया है।

इस प्रावधान के बढ़ते दुरूपयोग को देखते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अत्याचार निवारण संबंधी प्रावधानों को अन्यायपूर्ण मानते हुये इसे रद्द घोषित कर दिया। इससे दलितों की राजनीति करने वाले नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का बहाना मिल गया और देश में जगह-जगह दंगे भड़का कर सार्वजनिक सम्पत्ति को जलाया गया तथा इस प्रावधान को पुनः लागु करने का दबाव बनाया गया। यदपि यह देश के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था लेकिन दलित वोट बैंक खिसकने के डर से केन्द्र सरकार घबरा गई और तुरंत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 2018 के नाम से नया

> वास्तव में सवर्ण मतदाता इस समय अत्यन्त हताश एवं आक्रोशित है, ऐसी स्थिति में सवर्ण मतदाता के वोट में तो बिखराव निश्चित था। और स्पष्ट प्रदर्शन सवर्ण मतदाताओं ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ की विधानसभाओं के चुनाव में करके भाजपा को करारा झटका दिया है।

विधेयक पारित कर इसे पुनः लागू कर दिया गया। जो सवर्ण वर्ग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राहत महसूस कर रहा था, केन्द्र सरकार द्वारा हडबड़ी में उठाये गये इस कदम से भौचक्का रह गया। नरेन्द्र मोदी जैसे साहसी राजनेता से इस प्रकार डर कर उठाये गये कदम की सवर्ण मतदाताओं को उम्मीद नहीं थी। देखा जाये तो केन्द्र सरकार के इस अविवेकपूर्ण कदम से प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि सवर्ण मतदाताओं के मस्तिष्क में थी वो चकनाचूर हो गई, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सार्वजनिक मंच से आरक्षण की व्यवस्था कभी भी समाप्त नहीं करने की घोषणाओं से तो रही सही उम्मीद भी समाप्त हो गई।

2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतनी महत्वपूर्ण जीत दिलाने वाला सवर्ण मतदाता अपने

> जो सवर्ण वर्ग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राहत महसूस कर रहा था, केन्द्र सरकार द्वारा हडबड़ी में उठाये गये इस कदम से भौचक्का रह गया। नरेन्द्र मोदी जैसे साहसी राजनेता से इस प्रकार डर कर उठाये गये कदम की सवर्ण मतदाताओं को उम्मीद नहीं थी।

आप को अत्यन्त उपेक्षित एवं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वैसे भी सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी का परम्परागत वोट बैंक माना जाता रहा है। अतः सवर्ण समाज द्वारा केन्द्र सरकार के इस अविवेकपूर्ण कदम के विरूद्ध अपना उग्र विरोध प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भारत बंद का आयोजन किया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का अहसास तो हुआ लेकिन तब तक बहुत विलम्ब हो चुका था। केन्द्र सरकार की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई 'ना निगलते बन रहा है और ना उगलते'।

महाभारत में अभिमन्यु के प्रकरण में कौरव सेना द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण कर अभिमन्यु की घेराबंदी की गई थी और अभिमन्यु घबरा कर उस चक्रव्यूह से निकलने में असफल रहा था। लेकिन यहां तो कौरव सेना के योद्धाओं में खुद ही भगदड मची है, चक्रव्यूह का निर्माण तो स्वयं अभिमन्यु की खुद की जल्दबाजी में हुआ है और अफसोस की बात है कि अभिमन्यु को अपने ही चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है।

वास्तव में सवर्ण मतदाता इस समय अत्यन्त हताश एवं आक्रोशित है, उसे भारतीय जनता पार्टी से अब कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में सवर्ण मतदाता के वोट में तो बिखराव निश्चित था। और स्पष्ट प्रदर्शन सवर्ण मतदाताओं ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ की विधानसभाओं के चुनाव में करके भाजपा को करारा झटका दिया है। और कमजोर नेटवर्क तथा कम तैयारी के बावजूद तीनों प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता में आ गई।

रहा सवाल आरक्षित मतदाता का, तो वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं रहा है और उसके वोट प्रायः जातीय नेताओं की जेब में जाते है। भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ग से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने की गलतफहमी कैसे पाल सकती है? जबकि पासवान, राजभर, कुशवाहा, सावित्री फुले अलग होने का साफ संकेत दे चुके हैं।

अब भारतीय जनता पार्टी के पास वक्त बहुत कम बचा है, यदि आज का अभिमन्यु समय रहते इस जातिवादी चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया तो यह बिखरी हुई एवं हताश कौरव सेना ऐसी लूट-खसोट मचा देगी कि फिर इस देश का भगवान ही मालिक होगा।

पौराणिक कथन : 'सुमेरू'

पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के एक पर्वत का नाम जो सोने का कहा गया है। इसी पर देवताओं का निवास माना है।

समरसता के सभी खिलौने,,
खण्ड-खण्ड वे तोड़ रहे हैं।
साधु सन्यासी और तापस,
सब अपनी पत छोड़ रहे हैं।।

कविता

कब रूकेगा सिलसिला

किसी को समझने के लिये
यूं तो उम्र सारी चाहिये।
बारूद होने से कुछ नहीं होता
एक चिन्गारी चाहिये।।
आखिर कब तक अन्धे यूं
बांटते रहेंगें खुद को रेवडी,
बहुत हो चुका अब तो
उतरनी इनकी खुमारी चाहिये।।
एक बार इनको बैसाखी की
गुलामी से आज़ाद करो,
क़ाबिल को फिर कहां
आरक्षण की तरफ़दारी चाहिये।।
मन्त्री और सांसद की सन्तान
गरीबी की रेखा से नीचे,
पढने को निजी स्कूल और
नौकरी सरकारी चाहिये।।
समाज कल्याण के छात्रावास में
अटैच लेटबाथ कमरा,
आने जाने के लिये
चार पहिये की सवारी चाहिये।।
नाश्ते में ब्रेड आमलेट बटर
परांठा दही मुरब्बा चटनी,
लंच डिनर में मटन बिरयानी
चिकन तरकारी चाहिये।।
सोलह आने का एक एक
टका खोटा चव्वन्नी पौ बारह,
चमडे के सिक्कों की अब
अलग दुकानदारी चाहिये।।
इस आरक्षण ने मेरे देश का
बिगाड के रख दिया हाल,
अब फिर से जो बदले व्यवस्था
नेता चमत्कारी चाहिये।।
आखिर ये सिलसिला कब रूकेगा
कुछ तो कहो ज़मीर,
हमारे बचपन की जान ले ली
अब क्या हमारी चाहिये।।

:: हुकम सिंह ज़मीर ::

प्रशासन में अकुशलता अथवा अक्षमता के भयावह आरोप

गतांग से आगे:-

अधिवक्ता अथवा विधिक सलाहकार रेलवे की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, समाचार-पत्र में प्रकाशित रेल दुर्घटनाओं की खबर दिखाते हैं, जिन्हें माननीय न्यायाधीश बड़ी लापरवाही से खारिज कर देते हैं-

प्रशासन में अकुशलता अथवा अक्षमता के भयावह आरोप।

दूसरों का तर्क 'भयावह आरोप' बन जाता है।

अनूसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के कारण आई अकुशलता अथवा अयोग्यता तथा गैर-अनूसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों, जिन्हें उनके अपेक्षाकृत कम योग्य कनिष्ठों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया, की निराशा और हतोत्साह को रेलवे दुर्घटना जाँच समिति, 1968 की रिपोर्ट द्वारा समर्थित करने की कोशिश की गई। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पद आरक्षित करने की प्रक्रिया पर पर्यवेक्षकों के असंतोष की बात की गई थी।

यह सच है कि रिपोर्ट का झुकाव अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित पदोन्नति की नीति के विपरीत है, जबकि रेलवे बोर्ड द्वारा समिति को यह विश्वास दिलाया गया था कि सुरक्षा से संबंधित मामलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को अर्हता शर्तों में कोई ढ़ील न देने के निर्देश जारी किए जा चुके थे।

जी हाँ, जाँच समिति की रिपोर्ट भी पक्षपातपूर्ण हो गई।

और अब देखें, किस प्रकार माननीय न्यायाधीश द्वारा उस अनुभवजन्य सामग्री को निपटा दिया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाती है-

कहने की आवश्यकता नहीं कि बात को यहाँ तक पहुँचाना न्यायपलिका के धैर्य को तोड़ने जैसा है।

यह एक असंगत और अवास्तविक तर्क है, भले ही याचिकाकर्ताओं को इसमें वास्तविकता की उम्मीद हो।

ऐसा एक भी सबूत या तथ्य नहीं है जिसके आधार पर रिपोर्ट को अविश्वसनीय कहा जा सके। इसके बावजूद इसे अवास्तविक और असंगत तर्क बताया जा रहा है। आखिर क्यों ? क्या इन न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी हमारे धैर्य को तोड़ने का काम नहीं कर रही है ?

" न ही हमें किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित रोष या असंतोष से संबंधित किसी सामग्री से ही कुछ लेना-देना है।"-न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा है। "निस्संदेह, (ये) असंबद्ध और असंगतकारक न्यायिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते, जो संवैधानिक मानदंडों और संगत तथ्यों पर आधारित है।"

घटना की जाँच के लिए नियुक्त किए गए विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट असंगत कैसे हो गई ? संबंधित घटना का विवरण प्रस्तुत करने वाली समाचार-पत्र की रिपोर्ट असंगत कैसे हो गई? असंगतकारक न्यायिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते- जरा याद करें, जब श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन (आदेश) प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायाधीश के पास आई थीं तो कितनी सतर्कता और संवेदशीलता से ऐसी ही रिपोर्टों को ध्यान में रखा गया था।

> जबकि एन.एम.थॉमस मामले में न्यायाधीश महोदय ने किस प्रकार दु:ख प्रकट करते हुए स्वयं ही कहा था कि पिछड़े वर्गों, जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, में मौजूद कुछ प्रभावशाली सदस्यों द्वारा आरक्षण का सारा लाभ हड़प लिया जाता है-हम पीछे देख-पढ़ चुके हैं।

और भी देखिए-न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा कि नई ढील अथवा छूट पूर्व में स्वीकृत छूट से कुछ ही ज्यादा है। अधिसूचना जारी की गई थी कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई कर्मचारी 'अच्छा' का ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे 'बहुत अच्छा' ग्रेड माना जाए; इसी तरह, यदि वह बहुत अच्छा का ग्रेड प्राप्त करता हैं तो उसे 'उत्कृष्ट' ग्रेड में गिना जाए।

यह कोई बड़ी बात नहीं है, माननीय न्यायाधीश कहते हैं-

याचिकाकर्ताओं के अनुसार परिशिष्ट 'एच' कई कारणों से असंवैधानिकता के लिए अच्छा नहीं है। एक कारण यह है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक ग्रेड से एक अंक ऊपर का ग्रेड दिया जाता है।

यदि वह 'अच्छा' का ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। ग्रेडिंग में किए जानेवाले इस पक्षपात को पदोन्नति प्रक्रिया की बुराई बताया जा रहा है। लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। यह भद्दी ग्रेडिंग प्रक्रिया देखने में पक्षपातपूर्ण लग सकती है।

निस्संदेह, यह छूट किसी दिए गए वर्ष में किसी श्रेणी (ग्रेड)या पद विशेष की कुल रिक्तियों की संख्या के केवल 25 प्रतिशत रिक्तियों तक ही सीमित रखी गई है। अत: इसमें ऐसी बुराई नहीं है कि प्रत्येक हरिजन या गिरिजन (कर्मचारी) अन्य (कर्मचारी) के सिर से ऊपर कूद जाएगा।

तो क्या प्रशासन की कुशलता तभी प्रभावित होगी जब प्रत्येक हरिजन या गिरिजन (कर्मचारी) अन्य गैर-हरिजन/गिरिजन कर्मचारीयों के सिर के ऊपर कूद जाएगा?

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे चयन की प्रत्याशा को बढ़ाने या छूट देने के लिए एक प्रशासनिक उपाय मानते हैं। अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में भी यह उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अपेक्षाकृत कम अंक को भी पर्याप्त माना जाएगा या अतिरिक्त अंक प्राप्त करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी।

यह व्यवस्था भी इन दलित वर्गों की चयन-प्रत्याशा बढ़ाने के लिए ही की गई है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, कोई बुराई नहीं है; क्योंकि अर्हता-मानदंडों में छूट दे देने से प्रशासन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता।

यदि कुछ अतिरिक्त अंक देकर या निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक कुछ कम करके या अन्य अर्हता शर्तों में कुछ छूट देकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों की चयन-

प्रत्याशा में वृद्धि की जा रही है, तो इस ग्रेडिंग प्रक्रिया में मुझे कुछ भी अनुचित नहीं दिखाई देता। ध्यातव्य है कि परिशिष्ट 'एच' में निर्धारित न्यूनतम योग्यता और अर्हता मानदंड अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए भी जारी है।

जबकि एन.एम.थॉमस मामले में इन्हीं न्यायाधीश महोदय ने किस प्रकार दु:ख प्रकट करते हुए स्वयं ही कहा था कि पिछड़े वर्गों, जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, में मौजूद कुछ प्रभावशाली सदस्यों द्वारा आरक्षण का सारा लाभ हड़प लिया जाता है-हम पीछे देख-पढ़ चुके हैं।

बात यह है कि कुछ ऐसे संपन्न और प्रभावशाली हरिजन हैं, जो (हरिजनों को दिए जानेवाले) सभी लाभों को हड़प जाते हैं और निम्न स्तर के आम हरिजन पहले की तरह नीचे ही दबे रह जाते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति में मौजूद इस मलाईदार परत (यानी संपन्न और प्रभावशाली सदस्यों) को बाहर करने के लिए प्रशासन कदम उठा सकता है; लेकिन इस संबंध में न्यायालय उसे बाध्य नहीं कर सकता। जी हाँ, यह उन्हीं न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी है, जिन्होंने एक नहीं, कई बार कुछ-न-कुछ करने के लिए सरकार को विवश किया था।

अब जरा सोचें, क्या यह सबकुछ जाति या जातीय धारणा पर ही आधारित नहीं है? "जातियाँ कोई जाति नहीं हैं"-न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर कहते हैं। जी हाँ, तीन कदम आगे बढ़कर ही वह इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि 'पिछड़ी जातियाँ' कोई जाति ही नहीं हैं! अनुसूचित जातियाँ कोई जाति नहीं हैं-पहला कदम; अनुसूचित जनजातियाँ कोई जाति नहीं हैं-दूसरा कदम; और इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल की गई जातियाँ कोई जाति नहीं हैं।

.. शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

उत्तर प्रदेश – सामाजिक न्याय समिति ने सौंपी सिफारिशे

आरक्षण में बंटवारे का फार्मूला तैयार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में बंटवारे के लिए गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब एससी/एसटी और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बांटने की तैयारी है। समिति ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को तीन बराबर हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। इसके लिए तीन वर्ग पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा बनाने का प्रस्ताव किया है।

एससी/एसटी में दलित, अति दलित व महादलित श्रेणी बनाकर इसे भी तीन हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। सिफारिश फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है, जिस पर मंथन चल रहा है।

रिपोर्ट पर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज होने लगी हैं। इसे लागू किए जाने की स्थिति में जातीय राजनीति पर केंद्रित राजनीतिक दलों में घमासान मच सकता है। इसे देखते हुए इस रिपोर्ट को लागू करने में जल्दबाजी नहीं हो रही है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग की तीन श्रेणियों में बांट दिया है। इस वर्ग को अब तक 27 फीसदी आरक्षण मिलता था। अब तीनों श्रेणियों को 9-9-9 फीसदी आरक्षण देने की रिपोर्ट में संस्तुति की गई है। पिछड़ा वर्ग में 12, अति पिछड़ा वर्ग में 59 और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग में 79 जातियाँ रखी गई है।

अन्य पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण

1. पिछड़ी जातियाँ	9%
2. अति पिछड़ी जातियाँ	9%
3. सर्वाधिक पिछड़ी	9%

उत्तर प्रदेश में यादव, ग्वाल, सुनार, कुर्मी, लडहोर सहित 12 जातियाँ पिछड़ा वर्ग के कुल 27 प्रतिशत आरक्षण में से एक तिहाई आरक्षण पर सिमट जावेगा। 59 जातियों को अति पिछड़ों की श्रेणी में रखा गया है तथा 79 जातियाँ सर्वाधिक पिछड़ों में शामिल किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

एससी – एसटी 22% आरक्षण

1. दलित जातियाँ	7%
2. अति दलित जातियाँ	7%
3. महादलित जातियाँ	8%

एससी-एसटी वर्ग में भी 87 जातियों के लिए तीन श्रेणियाँ प्रस्तावित की है। 4 जातियों को दलित वर्ग में रखा गया है जिन्हें कुल 22 प्रतिशत में से केवल 7 प्रतिशत आरक्षण पर ही समेटा गया है, अति दलित वर्ग में 37 जातियों को 7 प्रतिशत व महादलित वर्ग में 46 जातियों को 8 प्रतिशत की सिफारिश की है।

राजनाथ का 17 बरस पुराना फार्मूला

योगी आदित्यनाथ की यह कवायद उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं। वर्ष 2001 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने भी सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। अध्यक्ष बनाया तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हुकुम सिंह को। वे गुर्जर जाति थे। उपाध्यक्ष बनाया गया तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री को। वे धोबी जाति से थे। समिति ने इस बात पर चिंता जताई थी कि पिछड़ों और दलितों मे एक-एक जाति विशेष आरक्षण के ज्यादातर फायदे ले रही है। पिछड़ी जातियों को पिछड़ा वर्ग में रखकर तीन श्रेणियाँ ए, बी और सी में बांटने की सिफारिश की गई थी। इसी प्रकार दलित जातियों को दलित और अति दलित वर्ग में रखकर तीन श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई थी। यादवों का कुल ओबीसी जातियों में 19.4% हिस्सा था, जबकि बी कैटेगरी की 8 जातियाँ जिनमें कुर्मी, लोध, जाट और गुर्जर शामिल थे, उनका शेयर 18.9% था। 70 जातियों का आबादी के आधार पर 61.69% हिस्सा था। यादव जाति को ए कैटेगरी के तहत आरक्षण का 5%, बी कैटेगरी की जातियों को आरक्षण का 9% तथा शेष 70 जातियों का आरक्षण में 14% हिस्सा रखा गया। लेकिन अमल होने से पहले भाजपा सत्ता से चली गई।

सुप्रीम कोर्ट! कौन?

जयपुर । हाल सम्पन्न हुऐ विधानसभा चुनावों के दौरान एक नहीं दो स्पष्ट संकेत मिले जो चेतावनी जैसे हैं। पहला तो ये कि देश नहीं तो कम से कम राजस्थान में विधी का शासन समाप्त हो चुका है और दूसरा ये कि इस विधी को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी शायद अकेले समता आन्दोलन के कन्धों पर आ गई है।

मिशन-59 के तहत जिन 17 आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों ने समता आन्दोलन के समर्थन से चुनाव लड़ा उनमें से ग्यारह-बारह लोगों ने रिटर्निंग आफिसरों को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ (एम. नागराज रिविजिट) निर्णय के अनुसार लिखित में आपत्ति दर्ज करवाई थी कि पूर्व विधायक व पूर्व आई.ए.एस/ आई.पी.एस. स्तर के क्रीमीलेयर में आने के कारण आरक्षित सीट से चुनावा लड़ने के अधिकारी नहीं है। उन पत्रों की पावती तक नहीं मिली। बल्कि राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी के नाक के नीचे जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे बगरू विधानसभा सीट के रिटर्निंग आफिसर ने वह आपत्ति पत्र लेने से ही मना कर दिया तो उसे ई-मेल से भेजना पड़ा।

दूसरा उदाहरण और भी बड़ा और घातक रहा। जिस पर हमने पिछले अंक में चर्चा की है कि कैसे एक नाममात्र के सरकार विहीन मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में उन्हीं की पूर्ण प्रभुत्ता सम्पन्न सरकार द्वारा पारित पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने संबंधी आदेश को बिना किसी उचित कारण के ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोनों ही मामलों में समता आन्दोलन को संविधान पीठ के सम्मान के लिए सक्रिय होना पड़ा।

इसी तरह चुनाव आयोग को मीणा-मीना विवाद के सम्बन्ध में एक सामाजिक संगठन द्वारा पत्र लिखकर हाईकोर्ट और केन्द्र सरकार के हलफनामें का जिक्र करके चुनाव प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने की प्रार्थना की गई थी। उसे भी अनसुना कर दिया गया।

उपरोक्त उदाहरण देश में संविधान और विधी के शासन को प्रमाणित नहीं करते हैं। प्रायः हर स्तर पर एक आपराधिक उदासीनता दृष्टिगोचर हो रही है।

जबकि लोकतंत्र में संविधानिक प्रतिष्ठा और न्यायिक निष्ठा निहायत ही जरूरी तत्व है। परन्तु देखने को यह आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज वर्तमान बैंच की निन्दा करके मामले को और उलझा रहे है। इसके शुभ फल मिलने वाले नहीं है।

आरक्षण माफिया के खतरे

एनडीए परिवार (?) में से राजभर और कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ भाग गये। पासवान ने धमकी भरे शब्दों में 31 दिसम्बर तक का समय दिया है। ये तीनों उदाहरण कथित राजनैतिक चतुराई कहकर छोड़े जा सकते हैं। लेकिन भाजपा से स्तीफा देने वाली सांसद सावित्री बाई फुले और दिल्ली के विधायक संदीप वाल्मीकी पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है।

सांसद सावित्री फुले ऊल-जुलुल बातें करने के लिए चर्चित रहती हैं। लेकिन उनकी अज्ञानता और कलुषित भावों का उदाहरण पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो के माध्यम से सार्वजनिक हुआ। किसी पाण्डेय नामक युवक ने उनसे फोन पर की गई बातचीत को वायरल किया है। पाण्डेय ने एकदम सहज लहजे में जो बातें कहीं वे सभी संविधान और समाज की सीमा में थी किंतु सावित्री फुले लगातार आवेशित और अकड़ अंदाज में जवाब दे रही थीं। इसी बातचीत में मनुस्मृति का सदर्भ आया तो सांसद महोदया का खोखलापन उजागर हो गया। उन्हें पता ही नहीं था कि मनुस्मृति क्या और महर्षि मनु कौन थे। वे बार-बार इसे ब्राह्मण रचित ब्राह्मणवादी ग्रंथ बताती रहीं और बिना किसी कारण भारत के लोगों को अपमानित करने का प्रयास करती रहीं। लेकिन बातचीत करने वाले पांडेय जी ने सांसद महोदया को बार-बार आईना दिखाने का प्रयास किया, पर वे किसी काल्पनिक मनुस्मृति और छद्म ब्राह्मणवाद पर ही अटकी रहीं।

संदीप वाल्मीकी का अपराध सावित्री फुले से बड़ा है। दिल्ली विधानसभा के इस विधायक ने विधानसभा का प्रयोग जातिगत जहर फैलाने के लिए किया। 'आप' का विधायक अनावश्य रूप से मनुस्मृति, मनुवादी पर अनर्गल बोलते रहें और किसी काल्पनिक अन्याय की दुहाई देकर यहाँ तक कह गया कि अब हमें जो रास्ता उचित लगेगा वह अपनाया जायेगा। भले ही हथियार क्यों न उठाने पड़े। वाल्मीकी की अनर्गल और आक्रामक बातें भी इसलिये क्षमा के योग्य है कि उसे किसी विधायक ने विधानसभा के पटल पर कही हैं? और ये उनका विशेषाधिकार है?

तीसरे उदाहरण के रूप में छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बघेल के पिता का वो बयान है जिसमें उन्होंने खुद को ब्राह्मणों का विरोधी बताया है। तीनों उदाहरण उन तीन राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के हैं जिनकी कमोबेस उपस्थिति संसद की लोकसभा में है। यह एक खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा है। इसमें पहली बात तो यह सामने आती है कि मनु और मनुस्मृति को अज्ञानी लोग किसी ब्राह्मण की लिखि पुस्तक मानते है जो कि पूर्णतः भ्रामक हैं। मनु स्वयं क्षत्रिय चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्हीं ने यह ग्रंथ लिखा था। दूसरी बात जात के नाम पर पिछले कुछ सालों से आतंकियों की विचारधारा की तरह केवल और केवल ब्राह्मण को 'गन प्वाइंट' पर रखा जा रहा है।

एक तरफ संविधान और संवैधानिक संस्थाऐं जातिवाद का जहर मिटाने के लिए आरक्षण रूपी कुंद हथियार का प्रयोग 68 सालों से कर रही हैं दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जो जातिवादियों को जातिवादी जहर इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से फैलाने को रोक सके। इसके अलावा गंभीर और बड़ा खतरा ये उभरा है कि जातिवादी नेता अपने जातीय समाज का उत्थान करने के लिए विकास के स्थान पर विनाशवादी हिंसक तरीकों को अपना रहे हैं। इन हालातों में देश के पहले प्रधानमंत्री पं0 जहवाहर लाल नेहरू का 1961 में सभी मुख्यमंत्रियों को लिख गया वह औपचारिक पत्र महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें उन्होंने "इस रास्ते (आरक्षण) आगे बढने को विध्वंसकारी"- बताया था। इसे कहते हैं नेता की दूरदृष्टि।

आज भारत देश जातिवाद के जहर से भीतर ही भीतर इतना खोखला हो चुका है कि अब उसकी मरम्मत किया जाना भी इमारत के गिरने मे सहायक जैसा प्रतीत होने लगा है।

पार्टियाँ वैसे तो अपने हर विधायक, सांसद या मंत्री पर बोलने को अंकुश लगाती है पर जातिवादी जहर उगलने वाले अपने सदस्यों के सामने एकदम लाचार हो जाती हैं सामान्य जन और राष्ट्रवादी सोच के लोग ये सोच और समझकर मायूस हैं कि वे कहाँ और किसके सामने जाकर फरियाद करें कि पूरी दुनिया की राजनीति जिस तरह हथियार माफिया के चंगुल में फंसी है ठीक वैसे ही भारत की राजनीति पूरी तरह आरक्षण माफिया की गिरफ्त में जकड़ी हुई है।

इस माफिया ने देश को गांव और शहर के दो धड़ों में बाँट दिया है। गाँव प्रातः आरक्षित वर्ग का अखाड़ा बन चुके हैं तो शहर अनारक्षित वर्ग के बोझ से थके जा रहे हैं। यही वो तकनीक तो नहीं जिसे अपनाकर आरक्षण माफिया देश को तोड़ने का मन्सूबा बाँध रहा हो? (समता आन्दोलन सोशल मीडिया पर वायरल इन ऑडियो, वीडियो को प्रमाणित नहीं मानता है)

- समता डेस्क

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिन्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in